

प्रधानमंत्री एफएमई योजना में बिहार प्रथम

चर्चा में क्यों?

[प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन \(PMFME\) योजना में](#) बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्य बंदि

- योजना के बारे में:
 - PMFME योजना का उद्देश्य [खाद्य प्रसंस्करण उद्योग](#) के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा नज्दी सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिसिर्द्धातमकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।
 - PMFME योजना 10,000 करोड़ रुपए के परवियय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- केंद्रित क्षेत्र:
 - यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के वपिणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिये [एक जिला एक उत्पाद \(One District One Product- ODOP\)](#) दृष्टिकोण अपनाती है।
 - अन्य फोकस क्षेत्रों में वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और [आकांक्षी जिले](#) शामिल हैं।
- PMFME योजना के तहत उपलब्ध सहायता:
 - व्यक्तगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:
 - पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लकिड पूंजी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति यूनिट है।
 - सीड कैपिटल के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सहायता:
 - कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिये खाद्य प्रसंस्करण में लगे SHG के प्रति सदस्य को 40,000 रुपए तक की सीड कैपिटल के साथ अधिकतम 4 लाख रुपए प्रति SHG की सहायता।
 - सामान्य अवसंरचना के लिये समर्थन:
 - FPO, SHG, सहकारी समितियों एवं सामान्य बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये किसी भी सरकारी एजेंसी का समर्थन करने हेतु अधिकतम 3 करोड़ रुपए के साथ 35% की क्रेडिट-लकिड कैपिटल सब्सिडी।
 - क्षमता निर्माण:
 - इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (Entrepreneurship Development Skilling) (EDP+) के लिये प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उत्पाद वशिष्ट कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संशोधित कार्यक्रम है।
- FSSAI एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिये जिला संसाधन व्यक्तियों (District Resource Persons-DRPs) को नियुक्त किया गया है।